(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजव बैंक ने सूचित किया है कि उसे पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से शयरों के बदले ओवर ड्राफ्टों की सीमाएं बढ़ाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

स्विस बैंकों में जमा धनराशि

3051. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रिजव बैंक की अनुमति से कितनी भारतीय फर्मों/व्यक्तियों ने स्विस बैंक खातों में धनराशि जमा करा रखी है, और उनके द्वारा अलग-अलग कितनी राशि जमा कराई गई है ;

(ख) भारतीयों द्वारा वहां अवैध रूप से जमा कराई गई कुल धनराशि की तुलना में इस राशि का प्रतिशत कितना है ; और

(ग) अब तक कुल कितनी फर्मों/व्यक्तियों के अवैध खातों के वहां होने का पता लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में अवैध रूप से जमा कराई गई कुल राशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह प्रतिशत निकालना संभव नहीं है।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय ने स्विटजरलैण्ड में अवैध रूप से रखे गए 9 बैंक खातों का पता लगाया है।

Outstanding Bank Credits

3052. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the state-wise bank credits both central and state outstanding at present;

(b) what is the breakup State-wise, number of beneficiaries who have drawn below Rs. 5000/- between Rs. 5001-10,000, between 10,001-20,000 and 20,001-50,000. 50,001-100,000 and 1 lakh and above;

(c) what is the extent of defaults in the above categories; and

(d) what is the distribution of credits for various priority items, statewise and whether any revisions are proposed to encourage rural agricultural sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Statewise advances of public sector banks as at the end of December 1986 are set out in the Statement. (*See* below)

(b) and (c) Reserve Bank of India has reported that data reporting system of banks does not yield information in the manner asked for.

(d) State-wise advances to priority sector by public sector banks are available for period ending December, 1985 and are set out in the Annexe. As per Reserve Bank of India's guidelines Banks are to ensure that their share of Director Agricultural Advances in total advances is atleast 16 per cent after March, 1987.